प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर (भीलवाड़ा)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ..... हीरापुर .....

—:आदेश:—

प्रार्थी के *"खाता दुरुस्ती"* प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... हीरापुर ..... व भू.अ.नि. तलावड़ा ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ...../नायब तहसीलदार तलावड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... हीरापुर ..... तहसील ..... गंगापुर ..... जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत् ..... 2070-73 ..... में खाता संख्या ..... 15 ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	हीरापुर	15	काडू पुत्र भोरया कोम मीना	काडू पुत्र कोरया कोम मीना (खाते में अंकित अन्य प्रविष्टिया यथावत रहेगी)

(सुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, गंगापुर (भी)

कमांक :– 88-90

दिनांक :– 25/5/15

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... काडू पुत्र कोरया निवासी हीरापुर ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
गंगापुर (भी)

25/5/15